खण्ड – 5 संख्या – 22

# बिहार विधान–सभा वाद–वृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

## भाग –2

(कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

शनिवार, तिथि 20 सितम्बर, 1986 ई०

## स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ :

**श्री रघुनाथ झा :** माननीय सदस्य श्री मुंशी लाल राय जिस विषय के संबंधमें जिक्र करने जा रहे हैं उस पर कई माननीय सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है । अतः निवेदन है कि उन सभी लोंगो को बोलवा दीजिये ।

**श्री मुंशीलाल राय :**अध्यक्ष महोदय, रामाश्रय राम की हत्या के प्रश्न पर बहुत से माननीय सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था । भोजपुर जिले के चाँद गाँव में 16 सितम्बर की बिहार प्रदेश किसान सभा के कार्यकर्ता श्री रामाश्रय राम की हत्या पुलिस के संरक्षण में जमींदारों के लठैतों द्वारा की गयी । हमलावारों ने पहले श्री राम को लाठियों से पीटा और बाद में उसकी एक आंख निकाल ली । समूचे भोजपुर में इसका आतंक व्याप्त है ।

**श्री हिन्द केशरी यादव :** भोजपुर जिलान्तर्गत सिकरहटा थाना के पुलिस सामन्तों के लठैतों ने देवांगाँव के 32 वर्षीय हरिजन युवक रामाश्रय राम की निर्मम हत्या कर आंख निकाल ली । पुलिस के साथ-साथ बोधन सिंह, बवन सिंह, नज सिंह आदि सामंती लठैतों ने रामाश्रय राम को लाठियों से पीट-पीट कर अधमुआ कर चंदा गाँव के बागीचा में लाकर टाती पर चढ़कर हुमच हुमच कर छाती तोड़ दिया और मरनोपरांत आँख निकाल लिया । ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर पुलिस एवं सामंती लठैतों ने मिलकर ग्रामीणों पर अंधाधुंध लाठी चलाकर दर्जन लोगों को घायल कर दिया । सुदीन राम की पत्नी का हाथ तोड़ कर एवं जयराम की पत्नी का पैर तोड़ कर सारे ग्रामीणों को शांत कर

दिया । इसके फलस्वरुप काफी आतंक फैल गया है । गरीबों, शोषितों दलितों, पीड़ितों हत्या एवं खून खराबा रोकने में सरकार विफल रही । श्री रामाश्रय राम को बागीचा में ले जाकर हुमच-हुमच कर पीटा गया और उसकी आँख निकाल ली गयी। इस तरह से हरिजनों के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है ।

**श्री विनायक प्रसाद यादव** : अध्यक्ष महोदय, यह इतना बड़ा संगीन मामला बनता है । सरकार को कम से कम कहिये.............

**श्री रामलाल सिंह** : दिनांक 3.9.86 को दिन के करीब 12 बजे औरंगाबाद जिला के कसमा थाना के ग्राम डुगुल निवासी श्री उमेश सिंह को श्री नागेश्वर यादव, ग्राम सोनारचक बुलाकर ले गये, जहाँ पर सर्वश्री सूबेदार यादव, रामएकबाल यादव, गंगवा यादव, सुरेश यादव वगैरह उपस्थित थे । श्री सिंह को मारा-पीटा तथा हाथ बांधकर बाबू बीघा स्थान पर ले जाकर गता काटकर हत्या कर दी । यह घटना पुलिस तथा स्थानीय असमाजिक तत्व के मेल से हुआ है, जिसके कारण पुलिस अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है । अतः हम माँग करते हैं कि श्री उमेश सिंह के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाय तथा कसमा थाना के दारोगा को निलंबित किया जाय ।

**श्री रघुनाथ झा** : माननीय सदस्य श्री मुंशीलाल राय ने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है तथा श्री सिंह केशरी यादव ने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसी के समरुप मैंने भी कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है । यह इतनी बड़ी घटना हुई है किस तरह से रामाश्रय राम की हत्या कर दी गयी, उनकी आँख निकाल ली गयी । इसमें

पुलिस और सामंतों ने मिलकर इस तरह से उनकी हतया की । इसलिये यह औचित्य जान पड़ता है कि इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय चूँकि अब कोई वित्तीय कार्य हैं नहीं जिसमें कोई बाधा हो । यह मौजू मामला है ।

**श्री विनायक प्रसाद यादव :** पाटलीपुत्रा के 20 सितम्बर के मुख्य पृष्ठ पर छपे बाढ़ में तैर रहे समस्तीपुर में 175 गाँव और जिला मुख्यालय मधेपुरा की और आपका ध्यान दिलाते हुए कहना चाहता हूँ कि बाढ़ की विभिषका दिनोंदिन बढ़ रही है । और गैर-जिम्मेदार बिहार सरकार उनकी सहायता के लिये अक्षम साबित हो रही है । इसलिये मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है ।

**श्री रमेन्द्र कुमार :** अध्यक्ष महोदय, रामाश्रय राम की जो हत्या हुई है वह इस बात को बताता है कि पुलिस तथा सामंतों की किस तरह की मिलीभगत है । और इसी मिलीभगत के चलते उनकी हत्या की गई ।

**श्री अजीतचन्द सरकार :** अध्यक्ष महोदय, रामाश्रय राम की हत्या के सवाल पर मुझे यह कहना है कि सिकरहटा थाना के दारोगा के सामने यह हत्या हुई । सबसे दुखद बात यह है कि हत्याएँ हो सकती है लेकिन दारोगा की उपस्थिति में जमीन्दारों के गुण्डों ने रामाश्रय राम की जिस तरह से आँखें निकालकर, सीना की हड्डी तोड़ा और उसका मर्डर कर दिया यह बेमिशाल है । अध्यक्ष महोदय, इस मर्डर का अन्जाम बहुत खराब होगा । हुजूर मेरा यह कहना है कि उस दारोगा पर 302 का मुकदमा चलाया जाय ।

प्रशासन इस दारोगा के खिलाफ कार्रवाई करे, गुण्डों के खिलाफ कार्रवाई करे नहीं तो मैं इस सदन के अन्दर बोल रहा हूँ । एक मर्डर के बदले दस मर्डर होगा, खून की नदियां बहेंगी । प्रशासन को कम से कम चाहिए कि जो उचित बात हो, जो उचित न्याय हो, जो उचित हक हो, हरिजन को मिलना चाहिए ।

**श्री सोनाधारी :** भोजपुर जिला के सिकरहटा थाना के देवचंदा गाँव के श्री रामाश्रय राम की हत्या उक्त सिकरहटा थाना पुलिस ने निर्मम तरीके से कर दिया । इस हत्याकांड में वहाँ के भू-स्वामियों का भी हाथ है कहा जाता है कि रामाश्रय राम की हत्या इसलिये की गयी कि वहाँ के भू-स्वामियों के दमन, उत्पीड़न के खिलाफ उसने हरिजनों और कमजोर वर्गों को संगठित किया था । उनकी हत्या उनके गाँव के बगल में की गयी । पुलिस और भू-स्वामियों के लठैतों ने सुबह रामाश्रय राम के घर को घेर लिया और वहीं पर उनके शरीर पर पुलिस और जमीन्दारों की लाठियाँ वरस पड़ी, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गयी । यही नहीं रामाश्रय राम के पत्नी को भी बुरी तरह से पुलिस और लठैत जमीन्दारों ने पीटा । वहाँ के गरीब ग्रामीणों का कहना है कि उसके गिर जाने के बाद उसके छाती पर पुलिस और जमीन्दार चढ़ गये और फिर उसकी एक आँख भी निकाल ली गयी है । और वहीं पर यह दम तोड़ दिया ।

**श्री उमाधर प्रसाद सिंह :** अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को मैंने कल भी उठाया था । बिहार के अन्दर आज कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। आज यहाँ की पुलिस सामंतों के हाथ में है । आज सामंतों और

पुलिस द्वारा भूमिहीनों पर बराबर जुल्म ढाया जा रहा है । आज जो इस तरह की घटना घट रही है । रामाश्रय राम की जो हत्या हुई है । यह सब मामूली मामला नहीं है । आज हर जगह बिहार में हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है । पुलिस और सामन्त मिलकर हरिजनों की हत्या कर रहे हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर गम्भीरता से सदन में विचार किया जाये और जो भी कार्रवाई सम्भव हो सरकार करे ।

**श्री अभयकांत प्रसाद** : अध्यक्ष महोदय, अवर अभियंता संघ के महामंत्री श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी 17 सितम्बर से संघ की 4 सूत्री माँगों के लिये आमरण अनशन कर रहे हैं । मुख्यमंत्री महोदय ने अप्रैल 86 को संघ भवन का शिलान्यास करते हुए आश्वासन दिया था कि वेतनमान में व्याप्त असंगति प्रोन्नति में लगा आरोप विशेष वेतन सीमा में बढ़ोत्तरी एवं अन्तरिम वाहन भत्ता में बढ़ोत्तरी 31 मई 86 तक कर दी जायगी संघ के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से बार बार मिलते रहे पर एक न सुनी गयी । आश्वासन कोरा साबित हुआ । संघ की 19 सूत्री माँगें सरकार के समक्ष वर्षों से लम्बित है । 12000 कनीय अभियन्ता संघर्ष की राह पर है । प्रशासनिक पदाधिकारी, चिकित्सक और अभियनताओं के संघर्ष की घोषणा से आशंका है कि बाढ़ और सूखे से जूझता बिहार का विकास ठप्प हो जायेगा ।

**श्री रघुनाथ झा** : अध्यक्ष महोदय, रामाश्रय राम से संबंधित कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे या नहीं ? यदि नहीं कर रहे हैं तो हम लोग वाक आउट करते हैं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के कई माननीय सदस्य सदन के बाहर चले गये)

श्री कर्पूरी ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, साधारण बातों में आपका आदेश होना चाहिये। यह तो इतना गम्भीर मामला है। सरकार कुछ तो कार्रवाई करेगी। अखबारों में कल छपा। सरकार ने क्या किया? मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने क्या किया।

(सदन में शोरगुल कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री कर्पूरी ठाकुर : रामाश्रय बाबू इतना बड़ा गम्भीर मामला है इतने माननीय सदस्यों ने कहा है। आपने इस पर क्या किया ?

(कोई उत्तर नहीं)

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इस पर क्या किया गया, यह बताये।

(सदन में पुनः शोर गुल)

अध्यक्ष : इस कार्य स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में नहीं, लेकिन जिस घटना के बारे में किसी तरह जानकारी आयी है। श्री रामाश्रय राम के साथ जिस रुप से दुःखद व्यवहार किया गया है, सरकार को इसकी गंभीरता को देखते हुए इसकी जाँच करानी चाहिए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : ठीक है, मैं इसकी जाँच करा दूंगा।

श्री कर्पूरी ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, ये किससे जाँच करायेंगे। श्री

आनन्द शंकर जी जैसे आदमी से जाँच करायेंगे तो वे जो घटना घटी है उसी को ठीक बतायेंगे ।

**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : रिजनल आई०जी० से जाँच करायेंगे ।

**( सदन में शोरगुल-विपक्ष के माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे )**

**( इस अवसर पर विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया )**

**श्री रामनारायण राम** : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य खाध्य एवं आपूर्त्ति निगम ने गत जून एवं जुलाई महीने में राँची, देवघर, डालटेनगंज, साहेबगंज और हजारीबाग में 72 लाख रुपये के लागत का करीब 10 हजार मेट्रीक टन आयोडायज युक्त नमक मँगाया । नमक को रखने के कोई व्यवस्था पहले से नहीं की और नमक खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है । वर्षों से आयोडिन की मात्रा पूर्णतः खत्म हो गयी है उसे आयोडीन युक्त नमक कहकर बेचने की कोशिश की जा रही है इससे निगम को लाखों रुपये की क्षति हो रही है । और यदि यह नमक जनता को दिया जायेगा तो उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा ।

**श्री सत्य नारायण दुदानी** : अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा अहम सवाल है । 70 लाख का नमक पानी में बह रहा है । सरकार इसकी सूचना ग्रहण करे ।

**श्री अब्दुल सुभान** : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के वायसी प्रखंड के ग्राम चरैया के निकट राष्ट्रीय उच्च्व पथ 31 पर दिनांक

15.9.86 को एक जीप दुर्घटना से सड़क के किनारे जा रहे 6 व्यक्ति घायल हो गये। चार व्यक्तियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वापसी लाया गया, परन्तु डाक्टर ने कहा कि यहाँ पर्याप्त सुविधा नहीं है, इन घायलों को सदर अस्पताल पूर्णिया ले जाया जाय, चूँकि घायलों को खून और ऑक्सिजन की आवश्यकता होगी। यहाँ से पूर्णिया की दूरी 30 कि०मी० है। शीघ्र पूर्णिया ले जाने के लिये कोई गाड़ी नहीं उपलब्ध नहीं रहने के कारण वापसी थाना से पूर्णिया सदर अस्पताल को वायरलेस किया गया कि शीघ्र एम्बुलेन्स, डाक्टर और ऑक्सिजन भेजकर घायलों को बचाने की व्यवस्था की जाये। परन्तु पूर्णिया सदर अस्पताल से 6 घंटा बाद एम्बुलेन्स भेजने के कारण एक व्यक्ति बिना इलाज़ के मौत के घाट उतर गये और दो व्यक्तियों की हालत चिन्ताजनक है। अतः सदर अस्पताल पूर्णिया से एम्बुलेन्स विलम्ब से भेजने के कारण ही मृत्यु हुई तथा वापसी में पर्याप्त चिकित्सा उपलब्ध नहीं होने के कारण मृत्यु हुई। इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

**श्री बच्चा चौबे** : अध्यक्ष महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों को डी०आर०ए० योजना के कार्यन्वियन में संलग्न स्टेट बैंक कर्मचारी प्रबंधन के तानाशाही रवैया के चलते आन्दोलन एवं हड़ताल की ओर अग्रसर होने पर बाध्य हो गये। जिससे सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के भविष्य के सामने एक भंयकर प्रश्नचिन्ह लगता सा दिखता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करके औद्योगिक विवाद की धारा 33(1) ए० की

अवहेलना करके एवं केन्द्रीय सरकार के निर्देशों को दर किनार करके भारतीय स्टेट बैंक के पटना सर्किल के प्रबंधन ने कर्मचारियों के विरुद्ध स्थानान्तरण एवं दमनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी है। जिससे कर्मचारियों में भयंकर रोष और क्षोभ उत्पन्न हो गया है। किसी भी समय स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है जो इस राज्य के आर्थिक विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में बाधक बन सकती है। अतः इस गंभीर स्थिति पर विचार करने के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय।

**श्री रामलाल सिंह :** रोहतास जिला के अन्तर्गत डी०डी०टी० छिड़काव में कार्यरत क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता पिछले 15-20 वर्षों से हरसाल 5-5 माह कार्य करते चले आ रहे हैं और आज तक इन लोगों की नियुक्ति नियमित रुप से नहीं हुई जबकि चतुर्थ वर्गीय पद पर हर साल नयी नियुक्तियां होती है। इतना ही नहीं फायलेरिया विभाग के चतुर्थ वर्गीय सामयिक कार्यकर्ताओं को मुख्य मलेरिया पदाधिकारी, पटना के द्वारा मलेरिया में चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति की गयी है। और मलेरिया विभाग के अनुसेवी कार्यकर्ताओं को वंचित किया गया है। ज्ञातव्य है कि हजारीबाग, पलामू, दरभंगा, राँची आदि जिला में काम करने वाले क्षेत्रीय मौसमी कार्यकर्त्ता को नियमित कर दिया गया है।

अतः माँग है कि रोहतास जिला के डी०डी०सी० मे कार्यरत क्षेत्रीय मौसमी कार्यकर्त्ताओं को नियमित किया जाय और आज की कार्यवाही रोक कर इसपर विचार किया जाय।

**श्री राजनन्दन प्रसाद :** अध्यक्ष महोदय, मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखंड में सुखासन पंचायत के सुखासन गाँव में मोसमात द्रौपदी

एवं अन्य 13 मृत व्यक्ति के नाम पर मुरलीगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने चार हजार रुपया जाली भुगतान बनाकर ले लिया है जबकि कैश बुक एवं भाउचर में पहले से मृत अंकित है और बी०डी०ओ० कर हस्ताक्षर है। जाँच के क्रम मे जाँच अधिकारी ने भारी भरकम रकम लेकर मात्र निर्दोष मुखिया पर एफ०आई०आर० किया है । और बी०डी०ओ० को बचा लिया है। जबकि भुगतान आदेश उन्हीं के द्वारा दिया गया है । इसलिये सदन की कार्यवाही रोक कर इस विषय पर विमर्श हो ।

**श्री मंजुर आलम :** कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखंड में गत वर्ष 1985 में एन० आर० पी० योजना के अन्तर्गत चार लाख वेयालिस हजार के प्राक्कलन पर 15 टुईन का हरिजन कालोनी ग्राम पंचायत झैसकरैली में बनना आरंभ हुआ था जो आजतक पूरा नहीं हो पाया है तथा जो भी बना है, वह भी ध्वस्त होने ही वाला है । अभी पूरा बना नहीं  कि उसमें लगाई गयी लकड़ी सरक कर गिरने लगी है तथा टूटा हुआ एसवेस्टस सीट लगाने के कारण पानी टपक रहा है । इस स्थिति को देखकर हरिजन सब उसमें निवास नहीं करना चाहते है । हरिजन के कई परिवार उसमें गये हैं परन्तु डर-डर कर निवास करते है । इसके बनाने में बहुत बड़ा घोटाला प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया गया है । अत: माँग करता हूँ कि सदन की कार्रवाई स्थगित करके इस पर विमर्श करने की अनुमति दी जाय ।

**अध्यक्ष :** आज दिनांक 20.9.86 के लिये करीब 13 माननीय सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है । इसलिये मैंने अमान्य कर दिया है ।

**श्री वशिष्ठ नारायण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला भ्रष्ट पदाधिकारियों का चारागाह बना हुआ है । डा०केशव त्रिपाठी शिक्षा अधीक्षक सह-जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर श्री श्याम नन्दन लाल दत्त, जिला व्यस्क शिक्षा पदाधिकारी एवं परमेश्वर प्रसाद सिंहा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर ने घूस लेने के लिये एवं अपने सगे-संबंधियों की नियुक्ति करने के लिये नये-नये ढंग का इजाद किया, जिसका नियम कानून से कोई संबंध नहीं है । श्री त्रिपाठी ने पैनल के बाहर के अप्रशिक्षित एवं अन्य जिला के लोगों को समस्तीपुर का वासी बताकर अपने पुत्र-पुत्री, दामाद एवं भतीजा सहित 350 अवैध नियुक्तियां की। श्री श्यामानन्दन लाल दत्ता की पुत्री सरोज दत्ता और परमेश्वर प्रसाद के दो पुत्र श्री अशोक कुमार और सुशील की नियुक्ति शिक्षक के पद पर की । अशोक समस्तीपुर कॉलेज के पंचम वर्ष अंग्रेजी का नियमित छात्र है जिसको नामांकन एक है । जिले के वयस्क शिक्षा के पदाधिकारी श्री दत्ता ने अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षक, लिपिक, सांख्यकि सहायक एवं अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पद पर खुलेआम घूस लेकर नियुक्ति कर रहे हैं । इनके समस्तीपुर कार्यालय में खुलेआम घूस का धंधा चल रहा है। उन्होंने घूसखोरी द्वारा शैक्षणिक अराजकता फैला दी है । अतः सरकार से माँग करता हूँ कि सरकार इस पर कार्रवाई करे।

**श्री उमाधर प्रसाद सिंह** : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के अन्तर्गत अररिया में बिहार प्रशासनिक अधिकारी की पुलिस द्वारा पिटायी के कारण विहार प्रशासनिक सेवा के तमाम अधिकारी हड़ताल पर चले गये है । राज्य में कानून एवं व्यवस्था का भीषण संकट

उत्पन्न हो गया है । पुलिस अधिकारियों की निरंकुशता एवं बर्बरता जो पहले आम जनता तक सीमित थी, अब प्रशासनिक अधिकारियों पर भी जुर्म ढा रही है बिहार में कानून के राज्य के बदले पुलिस का राज्य स्थापित हो गया है । अतः इस गंभीर स्थिति पर विचार करने के लिये सदन की कार्रवाई स्थगित किया जाय ।

**श्री सत्यनारायण दुदानी :** अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग द्वारा 1983-84 में पाइराइट और मुसरी फौस खाद खरीद में एक करोड़ का घोटाला किया गया है । दिनांक 29.3.84 अर्थात् वित्तीय वर्ष समाप्ति के दो दिन पूर्व पी०पी०सी०एल० को एक करोड़ रुपये का अग्रिम दिया गया जबकि इस संचिका संख्या 5-एफ-40-84 में 10 दिनों पूर्व खाद खरीद की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी । समय पर खाद की आपूर्त्ति नहीं किये किये जाने पर निदेशक कृषि ने अपने स्तर से कम्पनी को मई 84 एवं पुनः जून तक का समय बढ़ाया एवं जून 85 तक बढ़ाने की सिफारिश की । पी०पी०सी०एल० ने मूसरी फौस का दाम 540/-रू प्रतिटन तथा पायराइट का मूल्य 500/-रु का दर भुगतान कर दिया था । परन्तु भुगतान किया गया 600/-रु प्रति टन की दर से । इस प्रकार करीब 25 लाख का अधिक भुगतान हुआ और 21 हजार टन खाद कम खरीदी गयी। जून के पूर्व अर्थात् वर्षा प्रारंभ होने के पूर्व खेत में डालने योग्य खाद की आपूर्त्ति जून 85 के अन्त में हुई । कृषि विभाग के नीचे के अधिकारियों ने बताया कि खाद घटिया है । विशेष सचिव, कृषि ने इसे भयंकर घोटाला बताया और कार्रवाई की अनुशंसा की पर मंत्री ने इस पर कार्रवाई नहीं की और मामला रफा -दफा

हो गया । लघु और सीमांत किसानों को मुफ्त मे दी ज ली यह खाद वित्तीय वर्ष 1984-85 तक नहीं मिली । एक समाज सेवी इस मामले को निगरानी विभाग को सुपुर्द किया है । पर विभाग ने जाँच हेतु कोई कागजात अभी तक नहीं दिया है । इस पर विमर्श किया जाये ।

**श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्रांक 25/10/54 दिनांक 8 नवम्बर 1974 के द्वारा विधायकों एवं पदाधिकारियों के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किये हैं इन आदेशों को मुख्य सचिव बिहार सरकार के पत्रांक 673 दिनांक 28 जुलाई 1977 के द्वारा सभी विभागों के प्रधान को भेजा गया हैं इस परिपत्र के अनुसार सांसद एवं विधायक वर्त्तमान जनतंत्रीय प्रणाली में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। उन्हें भारत सरकार, राज्य सरकार के सूचनाएं माँग एवं मिलने का अधिकार है । यह भी कहा गया है कि पदाधिकारियों को सांसद एवं विधायक से सावधानी पूर्वक सुनकर विचार करना चाहिये तथा उन्हें सम्मान देना चाहिये । खेद की बात है कि पदाधिकारी विधायकों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं करते एवं इस आदेश का उल्लंघन करते हैं । इस परिपत्र में यह भी कहा गया है कि जब भी कोई सांसद एवं विधायक किसी पदाधिकारी से मिलने आते हैं तो उन्हें उठकर सम्मान करना चाहिये । विधायकों के पत्रों पर सावधानीपूर्वक विचार करके शीघ्र जबाव देना चाहिये । बिहार के पदाधिकारी इस परिपत्र का खुला उल्लंघन कर रहे हैं । जनतंत्रीय प्रणाली में विधायकों का जो स्थान है, इस सम्मान को बनाये रखने के लिये इस परिपत्र का

कड़ाई के साथ अनुपालन करना चाहिये तथा दोषी पदाधिकारी को दंडित करना चाहिये । इसके लिये सरकार को कदम उठाना चाहिये । इस हेतु सदन का कार्य स्थगित हो ।

**श्री बीरबल शर्मा** : पश्चिमी चम्पारण तथा पूर्व चम्पारण में दुबारे अतिवृष्टि एवं नहरों की पूर्व में मरम्मती नहीं होने से पूर्णतः बर्बाद हो गया है । धान की फसल पूर्णतः नष्ट हो गया है । दस हजार से ज्यादे मकान ध्वस्त हैं । रेल लाईन, सड़क एवं उनके पूल गंभीर रुप से क्षतिग्रस्त हैं । सैकड़ों लोगों की लाशें नदियों में देखे जा रहे हैं । एक गाँव से दूसरे गाँव का सम्पर्क टूट गया है । घर गिरने से कई लोग घायल होकर अस्पताल में हैं या अन्तिम सांस गिन रहे हैं । कितने लोगों के बच्चे लापता है । गाँव के गाँव समाप्त हो गये हैं । ऐसी परिस्थिति में नावों की कमी एवं राहत कार्य नगन्य मात्रा में होना मजदूरों एवं गरीबों कि, किसानों के मौत का कारण बन गया है ।

**श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह** : अध्यक्ष महोदय, आये दिन सरकार द्वारा जन कल्याण हेतु अनेकानेक कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये निधि का उपबन्ध किया जाता है । राज्य, यक्ष्मा उन्मूलन की योजना में करोड़ों रुपये का आवंटन राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया पर डा०ए०ए० मल्लिक निदेशक यक्ष्मा द्वारा सरकार निदेशों एवं नियमों को ताक पर रखकर यक्ष्मा निरोधक दवाओं के स्थन पर मनमाने ढंग से एवं मनमानी दुकानों से निर्धारित कर से अधिक दर पर करोड़ों का कफ सिरप का कागजी क्रय करके एवं अन्य सामानों की अनियमित कागजी खरीद एवं नजायज नियुक्ति में संबंधानक विधानों का खुल्लम

खुल्ला उलंघन ही बिहार यक्ष्मा केन्द्र का दूसरा नाम है । केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण योजनाओ के केवल एक व्यक्ति की अनियमितता के कारण बेकार साबित हो रहा हैं । तथा सैकड़ों का जीवन खतरे में है । घोर भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्य के संबंध मे निदेशक के काले करतूतों पर विमर्श के लिये कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना देता हूँ ।

**श्री विनायक प्रसाद यादव :** (पाटलीपुत्रा) 20 सितंम्बर के मुख्य पृष्ठ पर छपे 'बाढ़ में तैर रहे समस्तीपुर के 175 गाँवों' और जिला मुख्यालय माधिपुरा की ओर आपका ध्यान दिलाते हुए कहना चाहता हूँ कि बाढ़ की विभिषिका दिनोंदिन बढ़ रही है । और गैर जिम्मेदार बिहार सरकार इनकी सहायता के लिये अक्षम साबित हो रही है । अतः बाढ़ की विभिषिका पर विमर्श के लिय सभा की बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव करता हूँ ।

**श्री राजनन्दन प्रसाद :** अध्यक्ष महोदय, मधेपुरा जिला के सभी प्रखंडों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन उचित लोगों को नहीं मिलता, कुष्ट रोगी, लूला अपंग, विधवाओं को पेंशन से बंचित रखा गया है । पैसे लेकर पेंशन की राशि का भुगतान खुली बात हो गयी है । मुरलीगंज प्रखंड के कनटाही गाँव की विधवा स्व० शिबू पासवान की औरत स्व० बलदेव ऋषि की औरत बहरी गाँव रेमा भेलाड़ी, विधवा उमाकान्त झा की औरत पैसा नहीं देने के कारण पेंशन नहीं मिला । सदन में सभी कार्य स्थगित कर इस प्रस्ताव पर विचार हो ।

**श्री प्रभुनाथ तिवारी :** अध्यक्ष महोदय, सन् 1972 में पी०डब्लयू०डी०रोड

के ग्राम तरफ से विष्णुपुर, वैद्यनाथपुर, सरवरपुर, फतेपुर, प्रखंड तरयानी जिला-सितामढ़ी के किसानों के जमीन एवं जमीन में उगे हुये फसल विभाग द्वारा लगभग दो सौ किसानों का कब्जे में लेकर रोड बनवाया गया । किसानों द्वारा आपत्ति दिखाने पर जमीन एवं जमीन पर उगे फसल का मुआवजा देने का आश्वासन विभाग द्वारा दिया गया उदाहरणस्वरुप अनुराग सिंह, पिता-रामध्यान सिंह एवं मनोहर सिंह पिता-अनुराग सिंह सा० विष्णुपुर का विभाग द्वारा रसीद की फोटो कॉपी मैं सदन में प्रस्तुत करना चाहूँगा ।

एक तरफ सरकार बाढ़ एवं बरसात से प्रभावित लोगों के राहत कार्य का ढिंढोरा पीट रही है वही बाढ़ प्रभावित लोगों की जमीन एवं फसल का मुआवजा नहीं देकर किसानों को भूख से मार रही है। अतः आप से अनुरोध है कि उपर्युक्त काम के लगभग दो सौ किसानों के मुआवजा का भुगतान शीघ्र कराया जाये । तो ऐसे गम्भीर मामले में विधान सभा का कार्यवाही रोक कर इस पर वाद-विवाद किया जाय।

**श्री कर्पूरी ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के पालीगंज थानान्तर्गत अकबरपुर गाँव के लगभग 500 मुशहर तथा चमार परिवार को सामन्तों द्वारा लगभग पाँच वर्ष पूर्व भगा दिया गया । उन पर क्रूरता पूर्ण अन्याय, अत्याचार हुए थे । सरकार द्वारा उनके पुनर्वास हेतु लगभग दो लाख रुपये से आवासगृहों का निर्माण कराया जा रहा था किन्तु सामन्तों के प्रभाव और दवाव से क्योंकि वहाँ से पुलिस फोर्स को हटा लिया गया क्योंकि फिर उन पर जुल्म ढाये गये और सारे नव निर्मित मकान धाराशायी कर

दिये गये । ईंट छड़ आदि सामान सामन्त लोग उठा ले गये । सभी हरिजनों के परिवार वर्षों से पालीगंज बी० के प्रांगण में शरण लिये हुऐ हैं । उनके पुनर्वास एवं सरंक्षण में सरकार की निर्लज्जतापूर्ण विफलता है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सरकार उनके मकान बना दे ।

**श्री हिन्द केशरी यादव :** अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत प्रखंड में गण्डक एवं बागमती नदी का कटाव तेजी से जारी रहने के फलस्वरुप हजारों हजार घर भसकर नदी में धंस गया है और लोग बेघर बार होकर नंगे भुखे खुले आकाश में तले मछली की तरह तड़प-तड़प कर छटपटाहट में व्याकूल हो उठे हैं । कटाव के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया बाटर वेज मुजफरपुर द्वारा लूटा जाता है । उदाहरर्णाथ मात्र मानीपुर, बहादुरपुर, जमीन महियां, एवं वाराभगती में ही 85-86 में करीब 50 लाख लूट कागज पर गलत भुगतान दिखाकर किया गया है । उक्त तीनों स्थलों पर बोल्डर पिचिंग के नाम पर लूटा जा रहा है । सिंचाई मंत्री से उक्त लूट की जाँच कराने का आश्वासन के बावजूद आजतक जाँच नहीं करायी गयी । जबकि तटबंध रक्षा के नाम पर लूट जारी है । अतः सरकारी पैसे का लूट रोकने में सरकार की विफलता पर सदन की कार्रवाई विचार विमर्श हेतु स्थगित हो ।

**श्री अवध बिहारी चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला के तीन चीनी मिल बहुत पूर्व से स्थापित है । पंचरूखी चीनी मिल, करीब बीस वर्षों से बंद है, निव सिवान चीनी मिल एवं एस०के०जी० चीनी मिल सरकार के द्वारा अधिग्रहण सन 1977 एवं 1985 में की गयी । निव चीनी मिल सिवान पहले अधि

ग्रहण की गयी एवं एस०के०जी० चीनी मिल 1985 में सरकार द्वारा ली गयी है । इन दोनों चीनी मिल को सरकार एक साथ नहीं चलाकर केवल एस०के०जी० चीनी मिल सिवान को ही वर्ष 85-86 में सरकार चलाने जा रही है । सिवसन जिला में नया कोई उद्योग नहीं है । सिवान जिला के किसान केवल ईख की खेती करते आये हैं । नगद आमदनी का जरिया ईख ही मात्र है। दोनों चीनी मिल चालू रखने से करीब तीन हजार रमिक एवं लाखों लाख किसान लाभान्वित होंगे और शहर के व्यापार पर भी चीनी उद्योग चलाने का अच्छा प्रभाव पड़ता है । बात हुआ है इस क्रसिंग सिजन में सरकार निव चीनी मिल को आधुनिकीकरण करने का बहाना बनाकर चालू नहीं करना चाहती है । अभी तक निव चीनी इकाई सिवान में मरम्मती कार्य नहीं कराया जा रहा है। बिहार स्टेट सुगर कारपोरेशन लि० पटना के अन्तर्गत 15 चीनी युनिट है । विगत वर्ष सिवान चीनी मिल को चलाया गया था कम दिनों में कम खर्च में और युनिट की तुलना में निव सिवान ज्यादा रिकभरी प्रदान किया था । ज्यादा खर्च कर कम रिकभरी देने वाले चीनी मिल को चलाया जा रहा है तथा अधिक रिकभरी देने वाले निव सिवान को बंद करना कहाँ तक उचित होगा । अतः मैं सरकार का ध्यान निव चीनी युनिट सिवान को इस क्रसिंग सिज़न में एस०के०जी० सिवान के साथ चालू करने हेतु मुख्य मंत्री के पत्रांक 46स दिनांक 1.9.86 की और आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

श्री लालू प्रसाद यादव : 20 जनवरी 1986 को बी०एम०पी० डी०आई०जी० ने बी०एम०पी०2,5,10,14 के लिये सिपाहियों की

नियुक्ति की । सफल उम्मीदवार प्रशिक्षण पा रहे हैं । इसी बीच घूस नहीं देने के कारण 20 सिपाहियों को अकारण सेवामुक्त करने का आदेश दे दिया गया है । जिनको सेवामुक्त किया गया है, उनके नाम हैं सर्वश्री साकेत सिंह, फैयाज खां, आफताब बालम, हरेन्द्र सिंह, जयकिशोर राम, जयराम सिंह, सुधीर सिंह, कर्पूरी यादव, उमाशंकर साव, जेठालाल कुंदु, गुरुदेच कुंदुं, सुखदेव टोपो, वेनेटिक मरान्डी, जोकाउ धीनामा एवं अन्य चार तथा नवल को बर्खास्त किया गया है । नवल यह आदेश सुनकर पागल हो गया है । उनलोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क रही है । डी०आई०जी० श्री राम ने इन सभी ठीकठाक सिपाहियों को घूस नहीं देने के कारण सेवा से हटा दिया है । सरकार इस पर कार्रवाई करे ।

**श्री छेदी पासवान** : अध्यक्ष महोदय, अनियकॉलिक पत्रिका "प्रस्ताव" के संपादक, वन संस्कृति मंच के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ कथाकार श्री हरिहर प्रसाद के महेन्द्रू स्थित निवास स्थान पर 15 सितम्बर के राम में 8 बजे उनकी अनुपस्थिति में पुलिस ने बेवजह छापामारी की । और उनकी लाइब्रेरी को तहस-नहस कर उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया । श्री प्रसाद उस दिन विख्यात साहित्यकार नागार्जुन की रचनाओं के विषय पर आयोजित संगोष्ठी में सपत्नीक भाग लेने कतरासगढ़ गये थे । पुलिस ने छापामारी के दौरान किसी तरह का कोई सर्च वारंट भी नहीं दिखाया और नहीं ही कोई कारण बताया। पुलिस की इस कार्रवाई से श्री प्रसाद के परिवार ही नहीं बल्कि राज्य के साहित्यकारों में आतंक व्याप्त है । पुलिस द्वारा की गयी यह

कार्रवाई राज्य के सांस्कृतिक कवियों पर किये जा रहे पुलिस हमलों का एक और नमूना है । अत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करता हूँ कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाय ।

**अध्यक्ष** : अब सदन की कार्यवाई दो (2-15) मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है ।

**अंतराल के बाद**

**(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय, ने आसन ग्रहण किया)**

**अध्यक्ष** : आज गैर सरकारी दिवस था और इस सत्र में एक ही दिन था, इसलिये अभी इस गैर सरकारी संकल्प को लिया जायेगा और इसकी समाप्ति होने के बाद विधायी कार्य जो बचे हुए हैं। वह और ध्याना कर्षण की जितनी सूचनाएं हैं वे ली जायेंगी ।

**श्री अब्दुस सुभान** : अध्यक्ष महोदय, अभी सूचना मिली है कि सदस्यों को जो सुविधा है, निवेदन देने का वह निवेदन कल से ही निवेदन शाखा मे नहीं लिया जा रहा है । कल से निवेदन लेना स्थगित कर दिया गया आपके द्वारा । इस अवसर पर आपका नियमन चाहिए ।

**अध्यक्ष** : जितनी याचिकाएं हैं या निवेदन हैं या जो प्रश्न हैं उनके लिये समय निर्धारित रहता है । और जैसे-जैसे समय उसके लिये समाप्त होता जाता है, उसका लेना रोक दिया जाता है और उसके बाद मिलने पर कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी जाती है ।

**श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, निवेदन विभागों में भेजा ही नहीं गया है । निवेदन शाखा में ही रखा हुआ है स्वीकृति के बाद भी ।

**अध्यक्ष** : वह चला जायेगा ।

## गैर सरकारी संकल्प :

## हजारीबाग और दुमका को रेलवे लाईन से जोड़ना

## सार्वजनिक हित के विषयों पर संकल्प :

**अध्यक्ष** : माननीय सदस्य श्री ओमीलाल आजाद अपना संकल्प पेश करे।

**श्री ओमीलाल आजाद** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव ता हूँ कि :-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करे कि वह हजारीबाग और दुमका को रेलवे लाईन से जोड़े ।"

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि ........

**श्री सूरज मंडल** : अध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने भी एक संशोधन दिया था।

**श्री राजो सिंह** : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो अमेंडमेंन्ट है, वह मूव करा दिया जाय ।

**श्री सूरज मंडल** : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन दिया था कि दुमका से रामपुरहाट और दुमका से लालमटिया तक जोड़ा जाय।